उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय

ए–12 सरस्वती विहार, देहरादून।

'वित्त समिति' की द्वितीय बैठक

दिनांकः 23 जून, 2008

समयः पूर्वाह्न 11.00 बज़े

स्थानः कार्यालय कक्ष सचिव, तकनीकी शिक्षा,

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 23–06–08 हेतु एजेण्डा बिन्दु तथा विनिश्चय 22

1. दिनांक 23.10.2007 को आयोजित की गयी वित्त समिति की प्रथम बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि।
2. दिनांक 23.10.2007 को आयोजित वित्त समिति के प्रथम बैठक के कार्यवृत्त पर की गयी कार्यवाही।
3. वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्यय विवरण तथा तुलन–पत्र पर चर्चा तथा आवश्यक अनुमोदन।
4. वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये अनुमानित आय–व्ययक प्रस्ताव (बजट) पर चर्चा तथा अनुमोदन।
5. विश्वविद्यालय कार्यालय भवन के किराये का अनुमोदन।
6. विश्वविद्यालय में परीक्षा हेतु उत्तर–पुस्तिकाओं, ओ0आर0एस0 शीट्स के प्रकाशन तथा स्केनिंग का कार्य मैसर्स एस0पी0एस0 इन्टरनेशनल लि0, नई दिल्ली के माध्यम से करवाये जाने के निर्णय पर चर्चा तथा कार्येत्तर अनुमोदन।
7. विश्वविद्यालय हेतु भूमि क्रय/आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।
8. अन्य कोई बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

एजेण्डा बिन्दु – 1

- दिनांक 23–10–2007 को आयोजित की गयी वित्त समिति की प्रथम बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि।

एजेण्डा बिन्दु – 2

- दिनांक 23–10–2007 को आयोजित की गयी वित्त समिति की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त पर की गयी कार्यवाही।

<u>बिन्दु–1:</u> वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 क दौरान अनुदान तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त आय तथा व्यय विवरण पर चर्चा तथा आवश्यक अनुमोदन।

(वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर है।)

<u>बिन्दु–2:</u> वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 हेतु विश्व विद्यालय के वार्षिक लेखा अभिलेखों की संप्रेक्षा, वार्षिक लेखाबन्दी, आय–व्यय विवरण, बैंक समाधान विवरण तथा बैलेन्स शीट बनाये जाने पर चर्चा तथा अनुमोदन।

(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत आडिटर विश्वविद्यालय के आडिट का कार्य वर्तमान में सम्पादित कर रहे हैं।)

21

बिन्दु–3: विश्वविद्यालय में तैनात किये गये अस्थाई कार्मिकों की संख्या तथा उनके वेतन भुगतान पर प्रतिमाह हो रहे व्यय का विवरण तथा विश्व विद्यालय हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने के लिये पदों के सृजन पर चर्चा तथा अनुमोदन।
(शासन द्वारा कुल सत्रह पद सृजित किये गये हैं जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रगति पर है। इनके अतिरिक्त पांच कार्मिक उपनल से, बीस कार्मिक एक वाह्य एजेन्सी के माध्यम से तथा छः कार्मिक पी0आर0डी0 के नियुक्त किये गये हैं।)

बिन्दु–4: वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिये अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय प्रस्ताव (वजट) पर चर्चा तथा अनुमोदन।

(कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।)

बिन्दु–5: विश्वविद्यालय में उचित लेखा प्रणाली अपनाये जाने पर चर्चा तथा अनुमोदन।
(वित्तीय वर्ष 2007–08 से विश्वविद्यालय में दोहरी लेखा–प्रणाली लागू कर दी गयी है तथा टेली सॉफ्टवेयर पर भी वित्त एवं लेखा का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है।)

बिन्दु–6: विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अतिथि–गृह की आवश्यकता, किराया, संचालन तथा रख–रखाव आदि व्ययों पर चर्चा तथा अनुमोदन।
(अतिथि–गृह को अब डाटा प्रोसेसिंग केन्द्र के रूप में संचालित किया जा रहा है। अब एक बड़े भवन को परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये किराये पर लिये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।)

बिन्दु–7: विश्वविद्यालय कार्यालय हेतु भवन की व्यवस्था पर चर्चा तथा किराये पर कार्यालय भवन लिये जाने का अनुमोदन।
(विश्वविद्यालय कार्यालय हेतु 4200 वर्ग फुट क्षेत्रफल का एक तीन मंजिल का नया भवन 10/– रू0 प्रति वर्गफुट की दर से मासिक किराये पर ले लिया गया है। भवन का किराया 42000/–रू0 प्रतिमाह है।)

बिन्दु–8: विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा, समेस्टर परीक्षा, प्रश्न–पत्रों की संरचना, परीक्षाओं का आयोजन, उत्तर–पुस्तिकाओं की जांच, परीक्षाफल की घोषणा आदि की प्रक्रिया तथा इन पर होने वाले व्ययों पर चर्चा तथा अनुमोदन।
(इन कार्यों के लिये अभी तक कोई नियमावली नहीं बन पायी हैं। सभी कार्य कुलपति महोदय के निर्देशानुसार सम्पादित करवाये जा रहे हैं।)

बिन्दु–9 विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित काउंसिलिंग की प्रक्रिया तथा इसके आयोजन पर होने वाले व्यय पर चर्चा तथा अनुमोदन।

(इस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित काउंसिलिंग हेतु समिति का गठन करके नियमानुसार कार्य करवाये जाने का निर्णय लिया गया है।)

बिन्दु–10: (विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा, अवकाश यात्रा भत्ता सुविधा, मकान किराया भत्ता/आवासीय सुविधा आदि की अनुमन्यता पर विचार विमर्श तथा अनुमोदन।

(विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा, अवकाश यात्रा भत्ता सुविधा, मकान किराया भत्ता/आवासीय सुविधा आदि राज्य सरकार की प्रचलित नियमावलियों/शासनादेशों के अनुसार ही दिया जा रहा है।)

बिन्दु–11: विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के वेतन, आवास, पेंशन अंशदान, अवकाश वेतन अंशदान तथा अन्य सुविधाओं की अनुमन्यता पर चर्चा तथा अनुमोदन।

(इस प्रकरण पर शासन स्तर पर अभी निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।)

बिन्दु–12: विश्वविद्यालय के उपयोगार्थ विभिन्न सामग्रियों के क्रय हेतु क्रय–प्रक्रिया निर्धारण किये जाने पर चर्चा तथा अनुमोदन।

(राज्य सरकार के क्रय नियमों तथा प्रोक्यूरमेंट मैनुवल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न सामग्रियों पर कार्यवाही की जा रही है।)

बिन्दु–13: विश्वविद्यालय के उपयोगार्थ क्रय किये गये वाहनों तथा अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता पर चर्चा तथा अनुमोदन।

(विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार निविदा पर आधारित न्यूनतम दरों पर वाहन किराये पर लिये जा रहे हैं।)

एजेण्डा बिन्दु –3

- **वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्यय विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के उपलब्ध लेखा अभिलेखों के आधार पर चार्टड एकाउण्टेन्ट फर्म द्वारा तैयार किये गये तुलन–पत्र, आय–व्यय विवरण, प्राप्तियॉ तथा भुगतान विवरण पर चर्चा तथा आवश्यक अनुमोदन।**

वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान विश्वविद्यालय को शासन तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त हुयी आय तथा इस अवधि में हुये व्ययों का विवरण संलग्नक 'क' पर दिया गया है। इस अवधि का तुलन–पत्र, आय–व्यय विवरण, प्राप्तियॉ तथा भुगतान विवरण चार्टड एकाउण्टेन्ट फर्म की मदद से तैयार करावाया

गया है जिसे **संलग्नक 'घ'** पर दिया गया है। यह सूचना वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के तुलन पत्र तथा आय–व्यय विवरण तैयार न होने के कारण अद्यतन नहीं है। शासन द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर दिनॉक 07–09–06 तथा 2006–07 तक की अवधि के लेखा अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा विशेष सम्प्रेक्षा की कार्यवाही वर्तमान में प्रगति पर है। अतः इस अवधि से संबन्धित लेखा अभिलेखों की विशेष संप्रेक्षा रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही वित्त एवं लेखा से संबन्धित सूचनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सकेगी। वित्तीय वर्ष 2007–08 की अवधि हेतु वित्त एवं लेखा से संबंधित सूचनाओं को अद्यतन करने के लिये 01 अप्रैल 2007 से लेकर 07.09.07 की अवधि के दौरान हुये व्ययों को भी सम्मिलित किया गया है। आय व्ययक तथा तुलन–पत्र उपरोक्तानुसार समिति के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

एजेण्डा बिन्दु–4

- **वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय प्रस्ताव (बजट) पर चर्चा तथा अनुमोदन।**

वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान विश्व विद्यालय को विभिन्न श्रोतों से लगभग 12,35,00000 रूपये की आय प्राप्त होने का अनुमान है। इन प्राप्तियों के सापेक्ष विश्व विद्यालय का वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये अनुमानित व्यय का विवरण (बजट) **संलग्नक 'ख'** पर दृष्टव्य है। इस प्रकार विश्व विद्यालय के व्ययों के वहन के लिये वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान लगभग 3,94,00000.00 रूपये की धनराशि की आवश्यकता होगी। आय–व्ययक की आवश्यकता हेतु औचित्यपूर्ण व्याख्यात्मक टिप्पणी **संलग्नक 'ग'** पर दी गयी है। प्रस्तावित आय–व्ययक समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। यह भी प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये वित्त समिति द्वारा स्वीकृत आय–व्ययक की मदों में औचित्यपूर्ण आधार पर पुर्नविनियोग स्वीकृत करने की शक्ति कुलपति महोदय में निहित करने पर विचार करना चाहें।

एजेण्डा बिन्दु–5

- **विश्वविद्यालय कार्यालय भवन के किराये पर अनुमोदन।**

स्थायी भवन न होने की वजह से विश्वविद्यालय के कार्यालय के लिये सरस्वती विहार, अधोईवाला में एक तीन मंजिल का नया भवन किराये पर लिया गया है। इस भवन का क्षेत्रफल 4200 वर्ग फुट है तथा किराया 42000/– रूपये प्रतिमाह है। भवन का किराया 10/– रूपये प्रति वर्गफुट की दर से तय किया गया है। इस क्षेत्र का अनुमोदित सर्किल रेट लगभग 8.50 रूपये प्रति वर्गफुट से कम पर किराया लेने के लिये सहमत नहीं हुआ है। अतः अपरिहार्य परिस्थितियों में विश्वविद्यालय कार्यालय की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इस भवन को किराये पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया कार्यालय भवन के किराये का अनुमोदन करना चाहें।